सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 10.01.2023

चोरी करने के 03 शातिर अभियुक्त चोरी के माल के साथ गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में चोरो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने मुखवीर खास की सूचना पर चोरी करने के 03 शातिर चोर अभियुक्त 01. कुन्दन उर्फ भल्लर 02. महेश विक्रम सिंह 03. आदर्श पाण्डेय को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल, 01 अदद रशीद वही (कैश मेमो), 01 अदद वादी का बिजली कनेक्शन बिल प्रति, 01 अदद अनिरुद्ध यादव का स्कूल फीस रसीद, 03 अदद वादी का आधार कार्ड प्रति, 01 अदद नंबर प्लेट मोटरसाइकिल नंबर यूपी 43 AZ 7522 , 01 अदद पोटली नारंगी साड़ी में बंधा हुआ चोरी का माल /सामान बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तगणों ने थाना को0नगर क्षेत्र के अन्तर्गत चोरी किये थे जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत था। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. कुंदन उर्फ भल्लर पुत्र महेश बाबा निवासी ओढ़ी पुरावन पुरवा थाना कोतवाली देहात गोंडा
02. महेंद्र विक्रम सिंह पुत्र स्वर्गीय कृष्ण कुमार सिंह निवासी माथेपुर खरहरी थाना वजीरगंज गोंडा
03. आदर्श पांडे पुत्र स्वर्गीय सुभाष चंद्र पांडे निवासी विष्णुपुरी कॉलोनी थाना कोतवाली नगर गोंडा

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 19/2023 धारा 380, 457, 411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोंण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद रशीद वही (कैश मेमो)
02. 01 अदद वादी का बिजली कनेक्शन बिल प्रति
03. 01 अदद अनिरुद्ध यादव का स्कूल फीस रसीद,
03. 03 अदद वादी का आधार कार्ड प्रति
04. 01 अदद नंबर प्लेट मोटरसाइकिल नंबर यूपी 43 AZ 7522 मय घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल
05. 01 अदद पोटली नारंगी साड़ी में बंधा हुआ चोरी का माल /सामान

गिरफ्तारकर्ता टीमः-

उ0नि0 अजय कुमार तिवारी मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 10.01.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-14 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कोतवली नगर पुलिस ने 01, थाना छपिया पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना खोडारें पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. बब्लू चौहान पुत्र रामलोचन नि0 बरहिया कुकनगर थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 08 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 06/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना धानेपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रक्षाराम पुत्र रामलाल निवासी ग्राम इन्द्रापारा (डिहवा) थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 10/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

<u>सराहनीय कार्य</u>

<u>प्रेस नोट</u>

<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>

<u>दिनांक 10.01.2023</u>

<u>कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा कराने का ₹21,000/- इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार-</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना कोतवाली तरबगंज पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0-438/2022, धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि0 से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त कालीचन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने सहयोगियों से मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी तरीके से जमीन बैनामा करवाया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को0तरबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने रू0 21,000/- का पुरस्कार घोषित किया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

01. कालीचन्द पुत्र पुरई निवासी रायपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु0अ0सं0- 438/2022, धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि0 थाना कोतवाली तरबगंज जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम-</u>

01. अति0प्र0नि0 अशोक सिंह मय टीम।

<u>सराहनीय कार्य</u>

<u>प्रेस नोट</u>

<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>

<u>दिनांक 10.01.2023</u>

<u>लालच देकर पुराने जेवर व बर्तन बदलने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भण्डाफोड, प्रकाश में आयी 02 अभियुक्ता गिरफ्तार, हेरा-फेरी का माल बरामद(कीमत लगभग 10लाख)-</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

दिनाकं 09.01.2023 को थाना मोतीगंज पुलिस को ग्राम विद्यानगर की रहने वाली एक महिला ने सूचना दिया की 02 अज्ञात महिलाओं द्वारा गाँव कि महिलाओं व मुझे पुराने टूटे- फूटे जेवर व बर्तन बदल कर नये जेवर व वर्तन देने के नाम पर लालच देकर ठगी कर लिया गया है । जिस पर थाना मोतीगंज में सुसगंत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर बरामदगी हेतु टीमें गठित की गयी थी ।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना मोतीगंज पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर प्रकाश में आयी 02 अभियुक्ता- 01. रीना उर्फ पंडित चांदनी 02. अनीता को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सोने चाँदी के तमाम पुराने जेवरात जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रूपये, 03 अदद पुराने मोबाइल फोन, जमातलाशी में कुल रूपय 4710/- बरामद किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

01. रीना उर्फ पण्डित चांदनी पत्नी गोलू निवासिनी कांटा टोलाल थाना व जिला रांची, झारखण्ड।
02. अनीता पत्नी संतोष निवासिनी कांटा टोलाल थाना व जिला रांची, झारखण्ड।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु0अ0सं0 10/2023 धारा 379, 406, 420, 411 भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी-</u>

01. सोने चाँदी के तमाम पुराने जेवरात बरामद (कीमत लगभग 10 लाख रूपये)
02. 03 अदद पुराने मोबाइल फोन।
03. कुल रूपय 4710/- बरामद।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम-</u>

01. उ0नि0 सुनील कुमार रावत मय टीम।